HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनाँक-22.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास व 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 01/09/2014 को थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 943/14 धारा- 498A, 304B आईपीसी व 3/4 DP एक्ट में नामजद अभियुक्त 1) प्रदीप कुमार पुत्र जागेश्वर 2) जागेश्वर पुत्र भुइयादीन निवासी ग्राम बिलौटा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपीगण को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा दोनों अभियुक्तों को अ0सं0 943/14 धारा-498A आईपीसी में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-304B आईपीसी में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-4 डीपी एक्ट में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।